

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान इस ओर आकषित किया है, और यदि हाँ, तो इस मबन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंकाबालू) : (क) से (ग) वित्तीय वर्ष 1994-95 से राज्य लोक निर्माण विभाग की दर अनुसूची के अनुमत् लागत का 50 प्रतिशत की दर से अनुसूचित जाति/जनजाति के लड़कों तथा लड़कियों के लिए होस्टलों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अर्तगत निर्माण लागत सीमा हटाने तथा राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

Drug abuse In Uttar Pradesh

7290. SHRI SANJAY DALMIA; Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

- what is the incidence of drug abuse in Uttar Pradesh during the last two years;
- how does « compare with other States in India;
- how many drug deaddiction centres are operating in Uttar Pradesh; and
- what is the extent of Central financial help to the State Government in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) and (b) No Survey to assess the incidence of Drug Abuse has so far been conducted in any of the States/UT. Therefore Statewise comparison has not been feasible. However, according to the information collected from the Drug Abuse Prevention Centres in U.P. being funded by Welfare Ministry the number of addicts registered was 13545 in 1991 and 34558 in 1992-93.

(c) and (d) Under the Scheme of Prohibition and Drug Abuse Prevention 33 Deaddiction Centres run by NGOs are operating in UP. No funds are being released to the State Government under this Scheme.

Socio-economic Development of Child Beggars

7291. SHRI SANATAN BISI; Will [the Minister of WELFARE be pleased to state:

- the number of child beggars rounded up in Delhi since the beginning of 1994 till date; and
- what positive steps have been taken by Government to ameliorate their socio-economic condition.-?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WELFARE (SHRI K. V. THANGKA BALU): (a) According to Govt, of National Capital Territory of Delhi, a total of 853 child beggars have been rounded up so far by the Delhi Police.

(b) The child beggar is included in the definition of neglected children as covered under the Juvenile Justice Act, 1986. The child beggar thus rounded up are sent to the Observation Homes being run by the Department of Social Welfare, Government of Delhi. Facilities for their care, treatment, protection and rehabilitation are being provided to them in these homes. They are also provided education and vocational training for their self-reliance. The Ministry of Welfare is also operating a Scheme of Prevention & Control of Juvenile Social Maladjustment to provide financial assistance to States/Union Territories to create/strengthen/lup-grade and set up institutions for such children.

In addition, under the Central Sector Scheme for Beggary Prevention, financial assistance is provided to the State Governments to establish Work Centres in the existing

Beggar Homes for providing vocational and technical education for the rehabilitation of beggars. There are 12 Beggar Homes in the National Capital Territory of Delhi.

स्वायत्तशासी निकायों और संगठनों में आरक्षण

7292. श्री जनार्दन यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी प्रतिष्ठानों, सरकारी क्षेत्र के बैंकों और बीमा कम्पनियों को सरकार के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हिदायतें जारी कर दी हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्वायत्तशासी निकायों और सरकारी अनुदानों पर चलने वाले संगठनों में अन्य पिछड़े वर्गों को भी आरक्षण का लाभ देने का विचार रखती है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बी. तंझकाबालू) : (क) जी, हां।

(ख) इस सबध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान

7293. श्री जनार्दन यादव : क्या कल्याण मंत्री 18 मार्च 1994 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न सख्या 3564 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने उन राज्यों में अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाये हैं जहाँ पर अब तक पिछड़े वर्गों का पता नहीं लगाया गया है ; और

(ख) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिये हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बी. तंझकाबालू) : (क) भारत सरकार उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों क्षेत्रों के प्रशासनों के साथ, जिन्होंने अभी तक अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान उन्हें सूचित नहीं किया है लिखा पढ़ी कर रही है कि व अन्य पिछड़े वर्गों की शीघ्र पहचान/अधिसूचित करें।

(ख) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए कोई समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती क्योंकि सांविधानिक दायित्वों की पूर्ति में अन्य पिछड़े वर्गों की पहचान करने का काम सबधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है।

अन्य पिछड़े वर्गों के अर्चना,यों को आयु सीमा इत्यादि की छूट

7294. श्री जनार्दन यादव : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्य पिछड़े वर्गों से सबधित अभ्यर्थियों को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों को उपलब्ध आयु-सीमा, आवेदन शुल्क और अक-पात्रता छूट देने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. बी. तंझकाबालू) : (क) तथा (ख) यह मामला परीक्षणधीन है।

Complaints with National Commission for Minorities

7295. SHRI K. RAHMAN KHAN: Will the Minister of WELFARE be pleased to state:

(a) what is the number of complaints received by the National Commission for Minorities against discrimination of minorities, against violation of safeguards to minorities in the Constitution and against non-impletation of the safeguards by Government; and

(b) the number of cases where the Commission has initiated action so far under its power of Civil Courts?